## न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## (पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

**अपील संख्या 200 / 2016** **दायरा दिनांक : 24.10.2016**

**उनवान**

बृजेश कुमार बागला आत्मज श्री बालकिशन जी बागला, जाति महाजन, निवासी ग्राम मनोहरथाना, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

.... अपीलांट

**बनाम**

1– श्रीमती गुलाब बाई पुत्र स्व0 श्री भंवर लाल जी पुत्री श्री रामकिशन जी, जाति तंवर, निवासी ग्राम प्रेमपुरा, तहसील राजगढ़, जिला राजगढ़ (मध्यप्रदेश)

2– श्रीमती शांति बाई पुत्री स्व0 श्री भंवर लाल जी, पत्नी श्री बीरम जी, जाति तंवर, निवासी ग्राम मदनपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

3– श्रीमती हरकू बाई पुत्री स्वर्गीय श्री भंवर लाल जी, पत्नी श्री देवी लाल जी, जाति तंवर, निवासी ग्राम साण्डस, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

4– श्रीमति सुन्दर बाई पत्नी श्री मोती लाल जी, जाति लोढा, निवासी ग्राम साण्डस मजरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

5– श्रीमती शोरम बाई पत्नी श्री अमर लाल जी, जाति लोढा, निवासी ग्राम साण्डस मजरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

6– श्रीमती रोडी बाई पत्नी श्री मोर सिंह जी जाति लोढा, निवासी ग्राम गणेशपुरा लोढान, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

7– राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा

8– भूमि विकास बैंक शाखा प्रबन्धक शाखा अकलेरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री एन के गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से

**निर्णय दिनांक : 09.11.2017**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना के प्रकरण संख्या – 75/दावा/2007 निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नम्बर 1 एवं 2 ने एक दावा अपीलांट एवं अन्य के खिलाफ अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, 53 और 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन किया कि ग्राम खाताखेड़ी, तहसील मनोहरथाना में खतौनी संख्या 140 खसरा नम्बर 12 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 23 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 24 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 154 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 157 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 160 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 164 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 278 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 279 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा कुल 9 किता की 14 बीघा 7 बिस्वा आराजी प्रतिवादी नम्बर 1 मृतक भूरी बाई और हरकू बाई के खाते में दर्ज थी । वादग्रस्त आराजी भंवरलाल की पुश्तैनी आराजी है जिसमें प्रतिवादी नम्बर 1 और 2 और वादिनी नम्बर 1 और 2 भंवर लाल की

सगी पुत्रियां हैं जिसमें उन्हें जन्म से अधिकार प्राप्त है, परन्तु चालाकी से भंवर लाल के फौत हो जाने पर इंतकाल भूरी और पुत्री हरकू के नाम तस्दीक किया गया । वादग्रस्त आराजी में मृतक भूरी बाई ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र आराजी का बेचान सुन्दर बाई को किया है जो बेअसर है । भूरी बाई और हरकू बाई ने दिनांक 01.07.2011 को प्रतिवादी नम्बर 4 को भी बेचान किया है, जो बेअसर घोषित होने योग्य है । प्रतिवादी नम्बर 4 और हरकू बाई ने दिनांक 23.07.2013 को प्रतिवादी नम्बर 6 को बेचान किया है, जो बेअसर घोषित होने योग्य है । आराजी में वादीगण 1/2 हिस्से की खातेदार घोषित होने की अधिकारी है । अतः दावा वादीगण स्वीकार कर वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाये और आराजी का विभाजन किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में दिनांक 20.06.2016 को दावा वादिनी स्वीकार किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सूचना दिये बिना, सुनवायी का अवसर दिये बिना, राजस्व लोक अदालत में अपीलांट की अनुपस्थिति में निर्णय व डिक्री पारित किया है । अपीलांट ने कोई सहमति प्रदान नहीं की है और न ही कोई समझौता किया है । अपीलांट ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र आराजी क्रय कर कब्जा संभाला है और वक्त क्रय से निरन्तर वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त है । सी पी सी की पालना नहीं की गई है । दिनांक 12.05.2016 को आगामी तारीख नियत नहीं की गई थी । लोक अदालत की अपीलांट को कोई सूचना नहीं दी गई है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 31.08.2016 को हुई, नकल के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया और नकल प्राप्त होने पर वकील साहब की फीस का इंतजाम कर अपील पेश की है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंटगण की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 20.06.2016 को निर्णय पारित किया गया और विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई । अधीनस्थ न्यायालय ने सी पी सी के प्रावधानों की पालना नहीं की है । लोक अदालत की सूचना अपीलांट को नहीं दी गई है । अपीलांट लोक अदालत में उपस्थित नहीं हुए थे और न ही कोई राजीनामा पेश किया था । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये । अपने पक्ष के समर्थन में आर आर टी 2015 (2) पेज 990 उद्धरत की ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

पत्रावली में दिनांक 07.04.2016 को दिनांक 12.05.2016 की तारीख दी गई थी । दिनांक 12.05.2016 की कोई आदेशिका अंकित

नहीं है सीधे ही पत्रावली दिनांक 20.06.2016 की आदेशिका लोक अदालत की अंकित है । लोक अदालत में यह अंकित किया गया है कि पक्षकारान उपस्थित है और कुछ पक्षकारों के निशानी अंगूठा भी अंकित की गई है । यह निशानी अंगूठा सुन्दर बाई प्रतिवादी नम्बर 3, गुलाब बाई वादिनी नम्बर 1, शांति बाई वादिनी नम्बर 2, हरकू बाई प्रतिवादी नम्बर 3 और सौरभ बाई प्रतिवादी नम्बर 4 के प्रतीत होते हैं, परन्तु प्रतिवादी नम्बर 5 और 6 के न तो हस्ताक्षर हैं और न ही अंगूठा निशानी आदेशिका पर अंकित हैं । पत्रावली में कोई लिखित राजीनामा भी मौजूद नहीं है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें समस्त पक्षकारों ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो उसके अभाव में सी पी सी के प्रावधानों के अनुसार जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2016 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रतिवादीगण की साक्ष्य रेकार्ड पर लेकर नये सिरे से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 17.01.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 09.11.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा